Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26) मुकाम रायसिंहनगर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

शारदा बनाम जीया देवी आदि नम्बर 139/2023

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2023/372

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
08.11.2023	(see below)	1122 8/11/23

प्रार्थीया शारदा पुत्री देवाराम पत्नि श्री गोपीराम की ओर से श्री किशोर कुमार सोंलकी अधिवक्ता ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थीया के अंतरिम व्यादेश पारित करने हेतु प्रार्थना करने पर प्रार्थीया को सुना गया। अप्रार्थीगण की तलबी तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित कर विवादित भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति एवं रहन ,बैय, हस्तान्तरण न करने हेतु आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों, वकील प्रार्थीया के कथनों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि वे विवादित भूमि चक 24 पी टी डी की जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता सं. 45/35 में दर्ज मु. नं. 12 प.नं 299/352 तथा मु.न. 15 प.न. 299/353 कुल 1.790 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड भूमि पर आगामी तारीख पेशी 02.**01.2024** तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। **अतः अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस के भीतर रजि.ए डी नोटिस तलवाना पेश करें, एवं तलबी जारी करवा नोटिस मय स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को भिजवाते हुए रजि0 रसीद प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पर अप्रार्थीगण की तलबी कराने में असफल रहने पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावे।**

- **रास्ता/खांला के विवाद पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा।**
- **डी.आई.एल.आर.एम.पी के कार्यों व बैंक ऋण वसूली(राको रोडा) पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा।**

रजि0 एडी नोटिस तलवाना पेश करने पर तलबी जारी हो। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक **02.01.2024** को पेश हो।

2

(भारती फलफकर)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharti Foolfaker
Date: 2024.02.01 16:56:28 IST
Reason: SelfAttested

02/1/2024 वकील प्रार्थी हाजिर। [illegible] प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि हमारा अप्रार्थीगण से राजीनामा हो चुका अब उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई

आगामी कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं अतः पत्र
को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जावे।
अतः प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के आधार
पर आगामी कार्यवाही इसी स्तर ड्रॉप की
जाती है। पत्रावली निस्तारित होकर दाखिल
दफ्तर हो।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharti Foolfaker
Date: 2024.02.01 16:56:28 IST
Reason: SelfAttested